वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
स्थापना वर्ष 1988
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई - वाणी

अंक 13 अप्रैल–मई 2015

इस अंक के भीतर

पृष्ठ 06
बैठक की रिपोर्ट: एफसीआरए नवीकरण क्लीनिक्स

पृष्ठ 10
भारत में पर्यावरण और अधिकार समूहों का क्या भविष्य है?

पृष्ठ 13
नेपाल का भूकंप: त्रासदी से सबक

संपादकीय

सामाजिक कार्यकर्ता की मौत

प्रिय सदस्यो, एसोसिएट सदस्यो और मित्रो,

13 मई 2015 को एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता काबुल में आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन गई। वे और उनके साथ 13 अन्य लोग थे जो अफगानिस्तान में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। मैं यह बात डॉ. मार्था फारेल के बारे में लिख रहा हूं जो वाणी की कार्य–समिति की सदस्य और प्रिया संस्था की निदेशक थीं। संचार माध्यमों ने इस पर समाचार दिये, विश्व नेताओं ने इस घटना की भर्त्सना की और साथ ही सार्वजनिक आक्रोश भी उमड़ कर आया। पर फिर जीवन सामान्य हो गया और सामाजिक रूपांतरण में अपना जीवन खोने के लिए जैसे इंतजार किया जा रहा हो। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जीवन पहले कभी भी इतना जोखिम भरा नहीं था। हम अखबारों और सामाजिक मीडिया में अक्सर विश्व में किये जाने वाले बलिदानों के बारे में पढ़ते हैं। चाहे नाइजीरिया हो, सूडान, ईराक या बर्मा हो, हर जगह सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाढ़–संभावी क्षेत्रों में काम करते हुए, सामाजिक कार्यकर्ता, संजय घोष इस हिंसा का शिकार बने थे। यह याद दिलाने की जरुरत नहीं है कि सच्चाई की जांच करते हुए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हुए कितने आरटीआई कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन से हाथ धोया है।

आज सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीवन को अपने देश में ही नहीं, बल्कि देश के बाहर भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यह खतरा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से भी है। कई देशों में कार्यकर्ता जेल की सलाखों के पीछे हैं या गैर न्यायिक कार्रवाइयों में मारे जा चुके हैं। एक ओर तो हर कोई, चाहे कागज पर ही सही, यह मानता है कि संवाद के जरिये और शांति प्रयासों के जरिये, विश्व के अधिकतर टकरावों को हल किया जा सकता है, पर व्यवहार में देखा जाये तो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। भारत में ही देखें तो अनेक समर्पित लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र या पूर्वी भारत में शांत–निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, पर उन्हें न केवल अपराधियों को, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनके इरादों पर शक जताया जाता है। वे सरकारी विभागों द्वारा कठोर जांचों का निशाना बने हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोई सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं है। मैंने देखा है कि सामाजिक कार्यकर्ता दूर–दराज के स्थानों में पिछड़े वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं। उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि विरोधियों द्वारा पैदा की गई बाधाओं की वजह से उन्हें लगातार निराशा की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब समय आ गया है कि स्वैच्छिक क्षेत्र अपने समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करे। हमें सरकार से सामाजिक सुरक्षा की मांग करनी चाहिए और सरकार तथा समाज से मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। एक क्षेत्र के रूप में हमें अपने उन सहकर्मियों के कार्य को मान्यता देनी होगी जिन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए या तो

शेष पृष्ठ 5 पर

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

डॉ. मार्था फारेल की स्मृति में

निदेशक, प्रिया, कार्यकारिणी सदस्य, वाणी

प्रिया की निदेशक और वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया की कार्य–समिति की सदस्य, डॉ. मार्था फारेल (1959–2015) की मृत्यु को भारत के पूरे नागरिक समाज और स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षति हुई है। डॉ. फारेल 13 मई 2015 को इस दुनिया में नहीं रहीं। वे काबुल, अफगानिस्तान में आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनीं, जहां वे एक जेंडर कार्यशाला आयोजित करने हेतु एक पेशेवर दौरे पर गई हुई थीं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थीं और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से उन्होंने पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की थी। शिक्षा, शोध, नीतिगत एडवोकेसी, विशेषकर जेंडर संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पेशेवर रूप से 25 वर्षों तक कार्य किया। डॉ. मार्था ने विस्तृत रूप से व्यस्क और औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया था। उन्होंने विकास के मुद्दों पर भूमंडलीय समुदाय के छात्रों को खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रिया की आजीवन अधिगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी को विकसित और पोषित किया। डॉ. मार्था फरेल एक प्यारी मित्र, एक लोकप्रिय सहकर्मी और दूसरों के लिए सहायता का महान स्रोत थीं। उन्होंने हमेशा निर्धनों और सीमांतीकृत लोगों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। उन्होंने जेंडर समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए अपना जीवन जिया और बलिदान किया। हम डॉ. राजेश टण्डन और उनके परिवार को तथा प्रिया के कर्मचारियों को – जिन्होंने एक अमूल्य सहकर्मी को खो दिया – हार्दिक संवेदनाएं प्रेषित करते हैं।

गलत समझ या विरोध पर अंकुश

केवल सरकारी अधिनियमों की वजह से ही बुनियादी सामाजिक बदलाव नहीं आते। इसकी वजह यह है कि नागरिक समाज, देश का अंतःकरण ऊपर उठने लगता है और बार–बार बदलाव की मांग करता है। – जो बिदेन

— अर्जुन कुमार फिलिप्स, संचार अधिकारी, वाणी

इतिहास पर गौर करें तो हम देखते हैं कि आज के आधुनिक राज्य और पुराने समांती राज्यों के बीच एक उल्लेखनीय एक राजनीतिक प्रक्रिया वाकी है जिसमें नागरिकों की सहभागिता बढ़ी है। इस वाक्य को थोड़ा और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करें तो जनतंत्र शब्द सामने आता है जो एक ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जो हम सभी चाहते हैं और जिसे हम सभ्य राजनीतिक का अंतिम रूप मानते हैं। हालांकि जनतंत्र को ठोस और विजयी बनाने के लिए अन्य कारक आवश्यक हैं, पर सर्वाधिक उल्लेखनीय रूप से यह नागरिक समाज की सक्रियतापूर्ण और उत्तरकारी बनाती है। अनेक दार्शनिकों और राजनीतिक सिद्धांतकारों ने नागरिक समाज पर गणतंत्र के मूक नागरिकों की सामूहिक शक्ति के रूप में कार्य करने की भारी जिम्मेदारी सौंपी है। नागरिक समाज का मार्गदर्शी सिद्धांत है – एक शोधकारी शक्ति के रूप में कार्य करना और एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां जन–केंद्रित शिकायतों को उठाया जा सके और उन्हें हल करने के लिए कार्य किया जा सके। हम भारतीयों के लिए एक सर्वाधिक पवित्र पर साथ ही भय पैदा करने वाला दस्तावेज संविधान है जो स्पष्ट रूप से खुल कर बोलने (कुछ अनुच्छेदों के मामले में प्रतिबंधनकारी पर फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नागरिक समाज अपना अधिकार संविधान के इन अनुच्छेदों से प्राप्त करता है। नागरिक समाज को लेकर घटी घटनाओं के वर्तमान विस्फोट को देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें मुख्य धारा से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।

जैसा कि स्पष्ट है नया विधान, संस्थाओं और अनुदानकर्ता संगठनों को "निगरानी सूची" में रख रहा है। जिस असहजता से सरकार ने विदेशी निधियां प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के बारे में कहा है, वह यह संकेत देता है कि स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रति उसका दृष्टिकोण जरा भी अनुकूल नहीं है। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम अनुदान जारी किये जाने की वजह से अधिकतर गैर–सरकारी संस्थाएं विदेशी अनुदान पर निर्भर हैं; और अधिकतर अनुदानकर्ता संस्थाएं परोपकार आधारित संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य तीसरे विश्व को सेवाएं प्रदान करना है। भारत के नागरिक समाज को गैर–सरकारी संगठनों के माध्यमों से अपने को प्रस्तुत करना अधिक

आसान लगता है। ये संगठन मुख्यतः सक्रियतावाद, एडवोकेसी और सेवा प्रदायगी सहित विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्य कर रहें हैं।

भ्रम

सामान्य रूप से एनजीओ या गैर–सरकारी संगठन शब्द भ्रामक लगते हैं और अनेक संस्थाओं पर अनेकानेक रूप में लागू होते हैं। जो संस्थाएं सामाजिक कार्य कर रही हैं उन्हें स्वैच्छिक विकास संगठन कहा जाना चाहिए। गैर–सरकारी संगठन शब्दों के अंतर्गत वे संस्थाएं भी आ जाती हैं जो लाभ प्राप्त करती हैं (पर गैर–सरकारी होती हैं) और साथ ही इसमें विकास कार्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई जो कि एक जानीमानी संस्था है और भारत में क्रिकेट का राष्ट्रीय अभिशासी निकाय है, कानूनी रूप से एक एनजीओ या गैर–सरकारी संगठन है। यही बात तमाम प्रकार के धार्मिक ट्रस्टों के बारे में भी सच है। ये भ्रमित करने वाली पहचानें सीधे–सीधे 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन कानून का परिणाम हैं। यह कानून इस संबंध में कोई भेद नहीं करता कि कौन सी संस्थाएं किस उद्देश्य के लिए अस्तित्व में है। यह सामान्य जानकारी की बात है कि सरकारी एकाउंटिंग रिपोर्टें किस प्रकार से तैयार की जाती हैं सभी को

शामिल करने वाली रिपोर्ट में सामान्यतः अन्य एनजीओ और विकास संगठन शामिल होती हैं। पिछले दिनों संचार माध्यमों में इस आशय के समाचार छपे कि गैर–सरकारी संस्थाओं का बड़े पैमाने पर पंजीकरण रद्द किया जा रहा है और सरकार उनके विरुद्ध जो कार्रवाई कर रही है वह उचित है। रद्द की जाने वाली संस्थाओं की सूची की जांच किये बिना तत्काल यह धारणा बना ली गई कि लगभग सभी गैर–सरकारी संस्थाएं – और विशेष रूप से सामाजिक समानता को आगे बढ़ाने वाली वे संस्थाएं जो विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही हैं, भ्रष्ट हैं और परिश्रम के प्रति वफादारी रखने के कारण भारतीय राज्य के लिए विघटनकारी हैं। यह एक हस्यास्पद तर्क है और साथ ही यह उन सबको चोट पहुंचाता है जो निःस्वार्थ भाव से निर्धन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कई कागजी संस्थाएं भी मौजूद हैं जो स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि पर धब्बा लगाती हैं। पर अन्य प्रशासनिक समस्याएं भी हैं जो गैर–सरकारी संगठनों की समस्याओं को और भी बढ़ा देती हैं। गैर–सरकारी संस्थाओं के कार्य के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि संस्थाएं मुख्यतः दो प्रकार के कार्य करती हैं: एक तो सेवा–प्रदायगी का कार्य और दूसरे अधिकार–आधारित हकदारियों के संबंध में कार्य।

इसके लिए किसी प्रकार के प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं कि किस समूह को अधिक पीड़ित होना पड़ता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि एडवोकेसी या पैरवी करने वाली संस्थाओं को सेवा प्रदायगी संस्थाओं की तुलना में उत्पीड़न का अधिक निशाना बनाया जा रहा है (संदर्भ : "एक अन्य विदेशी अनुदानकर्ता गृहमंत्रालय की निगरानी–सूची में", 8 अप्रैल 2015, दि हिंदू)। ग्रीनपीस का पूरा मामला यह सुझाता है कि सरकार ऐसे कठोर कदम उठाने पर सरकार के इरादे का संकेत देता है। लेखक अपने विचार में पूर्वाग्रस्त नहीं है, पर हर किसी को यह स्वीकार करना होगा कि संस्था ने सराहनीय संवेदीकरण कार्यकलाप हाथ में लिये थे।

एक ऐसे समय में जब मौसम बदलाव एंथ्रोप्रोजनिक युग से प्रभावित हमारी प्राथमिकताएं संतुलित होनी चाहिए और तीव्र गति वाले विकास को बनाये टिकाऊपन या स्थिरतापूर्ण विकास को आगे बढ़ाने के पक्ष में होनी चाहिए। अनेक वर्षों से विकासशील देश "अर्थशास्त्र और विकास को पश्चिमी पद्धतियों की नकल करते रहे हैं। यह विवरण विकास अर्थशास्त्र के विपरीत लग सकता है, पर हमें मौसम बदलाव पर विचार करते समय "वसुधैव कुटुंबकम" के विचार को अपनाना होगा।

अन्य पक्ष

जरा सी हलचल मचते ही सरकार ने 9000 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी, और उनके एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिये। नागरिक समाज इससे स्तब्ध हो गया; यह सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को चुप कराने की एक कार्रवाई थी। पर सरकार ऐसे कठोर कदम क्यों उठा रही है इसकी जड़ में जाने की जरुरत है, और इस बात की उपेक्षा करना एक अदूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने जैसा होगा। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि गैर–सरकारी क्षेत्र अपने शुद्धतावादी दृष्टिकोण की वजह से सरकार को परेशानी में डाल देता है। इसी प्रकार जो वैध प्रकार के या फिर सही गैर सरकारी संस्थाएं हैं वे अपने पर लागू होने वाले कानूनों से डरती हैं। इस सूची पर नजर डालने से ही हर किसी को आश्चर्य होगा। इसमें प्रतिष्ठित संस्थाओं के नाम भी लिखे गये हैं जिनमें विश्व विद्यालय भी शामिल हैं।

इसका कारण विदेशी अनुदान अधिनियम (एफसीआरए) का पर्याप्त ज्ञान होता नहीं हैं। जहां हम सरकार के इरादों को निर्धारित करना आवश्यक समझते हैं वहीं यह देखना भी सामान्य रूप से जरूरी है कि कई संगठन "अनुपालन रिपोर्ट कार्ड" पर खरे नहीं उतर पाते।

जब पहली बार 2012 में एफसीआरए कानून, 2010 के अंतर्गत संस्था का पंजीकरण रद्द किया गया तो इसकी वजह एफसी–6 फार्म नहीं भरना था।

एफसीआरए कानून में अनेक अस्पष्टताएं हैं कई बार यह संस्थाओं को समझ भी नहीं आतीं, विशेषकर उन संस्थाओं को जो ग्राम स्तर पर काम कर रही हैं। यह समस्या अंग्रेजी के ज्ञान की वजह से और भी जटिल हो जाती हैं।

सावधानी का रास्ता

जैसे–जैसे समय के अनुसार घटनाएं हमारे सामने आती गईं, स्वैच्छिक क्षेत्र को सरकार के एक अलग विभाग से मनमानी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। नवीकरण आवेदन भरने के संबंध में चिंताएं काफी अधिक थीं। नवीकरण आवेदन किये बिना संस्थाओं का पंजीकरण रद्द हो सकता था। कानून के अनुसार अनेक परियोजनाओं पर कार्य करने वाली संस्थाओं का समापन के एक वर्ष पहले नवीकरण आवेदन करने चाहिए। यह तिथि 30 अप्रैल 2015 थी। इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से आनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है। इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

पर जैसे–जैसे तिथि सामने आती गई आनलाइन पोर्टल खुला नहीं और इस संबंध में न तो गृह मंत्रालय द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया।

कई संगठनों को लगा कि आगे बढ़ कर नवीकरण फाइल करना कानून का उल्लंघन होगा। गृह मंत्रालय गैर–सरकारी संगठनों के

प्रति न तो उत्तरकारी है और न ही उनके प्रति अनुकूल रवैया अपनाता है। पर पूरी समझ के अनुसार ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय को कोई सरोकार नहीं था और उसे बस लाइसेंस या गैर सरकारी संस्थाओं के पंजीकरण रद्द करने की पड़ी थी।

इस तथ्य से हम एक बड़े सवाल की ओर आते हैं; और वह सवाल यह है कि क्या सरकार को नागरिक समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस तरह के नौकरशाही के आक्रमणों से बचने के लिए ये संस्थाएं क्या कर सकती हैं? जनतांत्रिक स्थान कम होता जा रहा है और यह हमारे देश की सहभागिता और सहभागिता को गहरे से प्रभावित कर रहा है। वह कोई जेनेरिक वक्तव्य नहीं हैं यह केवल इसी देश में मौजूद है।

तानाशाहियां नागरिक समाजों को वैध रूप नहीं दे सकतीं और यह चिंता का विषय है कि विश्व के अनेक परिपक्व जनतंत्र आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इन्हें बाधाओं के रूप में देखते हैं। इस प्रकार की तानाशाही वाली प्रवृति को रोकने के लिए जिस विरोधकारी कार्यतंत्र की जरुरत है वह बढ़ते हुए सक्रियतावाद में और आम लोगों के नागरिक समाज के मामलों के बारे में शिक्षित करने में निहित है। भारतीय अनुभव में विकासशील अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था की अपर्याप्तताएं रहीं हैं।

अधिसूचना

प्रिय सदस्यों और दोस्तो,

जैसा कि आप जानते हैं वाणी ने हाल ही में भारत के विभिन्न राज्यों में एफसीआर नवीकरण क्लीनिकों का आयोजन किया है। अपनी आपसी बातचीत के दौरान हमें यह पता चला कि अनेक वर्षों की परियोजनाएं चलाने वाले कई संगठनों ने 30 अप्रैल 2015 से पहले गृह मंत्रालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं करने के बावजूद गृह मंत्रालय के पास एफसी–5 फार्म फाइल किये हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं की ओर से एडवोकेसी करने वाली संस्था के रूप में वाणी आपसे आग्रह करती है कि एफसी–5 फार्म की प्रति हमें भेजें क्योंकि इसका उपयोग आपकी संस्था द्वारा अनुपालन के प्रामण के रूप में किया जा सके। आप फोटोकापी या स्कैन की गई कॉपी 15 जून 2015 तक डाक द्वारा या फिर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। अगर आपने एफसी–5 फार्म जमा नहीं किया जो भी हमें इसकी जानकारी दें क्योंकि यह हमारी जानकारी के लिए उपयोगी होगा।

पृष्ठ 1 का शेष

अपने जीवन बलिदान कर दिये या फिर जो विश्व में जेलों की सलाखों के पीछे पड़े हैं। सभी को मलाला यूसुफजाई जैसी मान्यता तो नहीं मिल सकती, और न ही उन्हें हमारे देश के पद्म पुरस्कार मिलेंगे, पर एक क्षेत्र के रूप में आने वाली पीढ़ियों को उनकी कुर्बानियों के बारे में अवगत कराने की एक प्रक्रिया शुरू करनी होगी। वे बहादुर लोग थे जिन्होंने अपना जीवन अपना कर्तव्य निभाते हुए और अपने विश्वास का पालन करते हुए बलिदान कर दिया। आज जब आधी दुनिया घृणा और हिंसा की आग में जल रही है, सामाजिक बदलाव के वाहक ही घावों पर मरहम लगा सकते हैं और पीड़ितों के आंसू पोंछ सकते हैं। पर अगर हम ऐसे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं करेंगे तो बाकी भूमंडल का भविष्य बचा नहीं रहेगा। इस ई–सामाचार पत्र के माध्यम से वाणी अपनी बिरादरी के सदस्यों को सेल्यूट करती है।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्य–अधिकारी

बैठक की रिपोर्ट: एफसीआरए नवीकरण क्लीनिक्स

(वाणी द्वारा एफएमएसएफ, सीपीए, क्रेडिबिलिटी एलाएंस और सीएपी के सहयोग से आयोजित)

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) ने विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर की पहलकदमी की। यह पहलकदमी वाणी ने अपने साझेदारों के सहयोग से अनेक एफसीआरए नवीकरण क्लीनिक आयोजित करके की। देश भर में आयोजित किये गये इन क्लीनिकों का उद्देश्य जमीनी स्तर की संस्थाओं के लिए एफसीआरए कानून का सरलीकरण करना और एफसीआरए नवीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करना और स्पष्टता लाना था।

ये क्लीनिक विभिन्न शहरों में आयोजित किये गये जैसे कि नई दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई, लखनऊ, मुम्बई, पुणे, रायपुर, अहमदाबाद, पटना, कोलकाता, रांची, इंफाल, भुवनेश्वर, भोपाल, हैदराबाद और उदयपुर।

ये एक–दिवसीय क्लीनिक विभिन्न सत्रों में विभाजित थे जैसे कि: एफसीआरए की समीक्षा एफसीआरए के महत्वपूर्ण मुद्दे, एफसी पंजीकरण का नवीकरण और अनुपालन की शर्तें।

प्रस्तावना सत्र

क्लीनिक का आरंभ एक प्रस्तावना टिप्पणी (नोट) के साथ हुआ जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि समूचा स्वैच्छिक क्षेत्र नवीकरण कार्य–प्रक्रिया को लेकर चिंतित है। इस प्रक्रिया के बारे में बहुत से भ्रम मौजूद हैं और साथ ही यह चिंता भी मौजूद है कि नवीकरण किस प्रकार से होगा।

इस भय और चिंता से दलालों की उपस्थिति और भी बढ़ा देती है। ये दलाल इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वाणी और उसके साझेदारों ने स्वैच्छिक संस्थाओं के संदेहों को दूर करने के लिए इन कार्यशालाओं को आयोजित करने का फैसला लिया। ये कार्यशालाएं जानकारी के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने का एक प्रयास भी है। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली और उसके आसपास स्थित संस्थाओं को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो जाती है, पर दूर–दराज के क्षेत्र इस प्रक्रिया से कटे होते हैं।

इतना ही नहीं, जहां एक ओर गृह मंत्रालय एफसीआरए नवीकरण कर रहा है वहां वाणी और एफएमएसएफ कानून की समीक्षा कर रहे हैं। ये क्लीनिक इस फीडबैक प्रक्रिया के लिए मुद्दों की पहचान करने में सहायक रहे हैं।

तकनीकी सत्र 1: एफसीआरए पर एक नजर

एफसीआरए कानून 1976 में बना था। इसे पहली बार 1975 में, आपात्काल के दौरान प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य देश में आने वाली निधियों का विनियमन करना था। क्योंकि इस कानून को जल्दबाजी में बनाया गया था, इसलिए इसे सही प्रकार से लिखा नहीं गया और इसमें बहुत सी कमियां हैं।

इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि 1976 में विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत अनुदान थे। अब यह सही नहीं है। आज, भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा अनुमानतः 4,00,000 करोड़ है जिसमें से केवल 11,000–12,000 करोड़ रुपए ही एफसीआरए के अंतर्गत प्राप्त होते हैं।

इस सत्र में विचार–विमर्श शामिल थे जिनके माध्यम से नये एफसीआरए कानून (2010 में लागू किये गये) में बदलावों पर विचार किया गया। विचार–विमर्श के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार थे:

1. मूल कानून के अंतर्गत एफसीआरए पंजीकरण स्थायी होता था। पर, नये कानून के अंतर्गत हर पांच साल में पंजीकरण कराने का प्रावधान है।
2. एफसीआरए 2010 के अंतर्गत संस्थाएं केवल एक एफसीआरए पदनामित खाते से ही विदेशी योगदान प्राप्त कर सकती हैं। पर गृह मंत्रालय के एफसीआरए विभाग को सूचित करने के बाद वे उपयोग के उद्देश्य से अनेक बैंक खाते खोल सकती हैं।
3. नये एफसीआरए कानून के अनुसार संस्थाएं पूर्व अनुमति के बिना एफसीआरए के निधि का 50 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक कार्यों पर खर्च नहीं कर सकतीं।
4. नये एफसीआरए कानून के अनुसार, संस्थाएं विदेशों से प्राप्त किये गये पैसे का उपयोग "धरने" या राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए नहीं कर सकतीं। पहले इन कार्यकलापों की अनुमति थी। नये प्रावधान के अनुसार यह

कहा गया है कि राजनीतिक प्रकार की संस्थाओं पर इस संदर्भ में रोक लगाई जायेगी। एक अन्य बदलाव यह है कि पंचायतों को विधान मंडल माना जायेगा।

5. नये एफसीआरए कानून के भाग 14 में यह कहा गया है कि अगर संस्था उपयुक्त कार्यकलाप नहीं चलाती तो केंद्र सरकार उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है।

6. पहले इस संबंध में भ्रम की स्थिति थी कि क्या एफसीआरए के पैसे का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा सकता है या नहीं। पर नये कानून में एक बदलाव यह है और स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि विदेशी अनुदानों में वाणिज्यिक (कमर्शियल) प्राप्तियां शामिल नहीं होंगी।

7. एक भारतीय कंपनी, अर्थात भारत में पंजीकृत कंपनी को तब विदेशी अनुदान स्रोत के अंतर्गत लाया जा सकता है जब उसके बोर्ड में विदेशी हों या उसकी 50 प्रतिशत इक्विटी विदेशी लोगों के पास हो।

8. एफसीआरए वाली संस्था किसी भी अन्य ऐसी संस्था को निधियां हस्तांतरित कर सकती हैं जो एफसीआरए कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो, पर प्राप्तिकर्ता संस्था पर एफसीआरए विभाग द्वारा पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई हो तभी निधियां हस्तांतरित की जा सकती हैं। इसलिए अनुदानकर्ता संस्था को प्राप्तिकर्ता संस्था से वचनबद्धता लेनी चाहिए और एफसीआरए वेबसाइट पर जांच भी करनी चाहिए।

9. एफसीआरए अधिनियम 2010 के नियम 4 के अंतर्गत शेयरों और स्टॉक्स में निवेश को वर्जित किया गया इसके अलावा संस्थाएं भूमि की खरीद और बिक्री जैसे कार्य में नहीं कर सकतीं। पर वे बैंक प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती हैं।

10. एफसीआरए विभाग की 22 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार अगर संस्था एफसी एकाउंट से एक बार में 20,000 रुपये से अधिक नकद राशि निकाले तो और गहन जांच की जा सकती है।

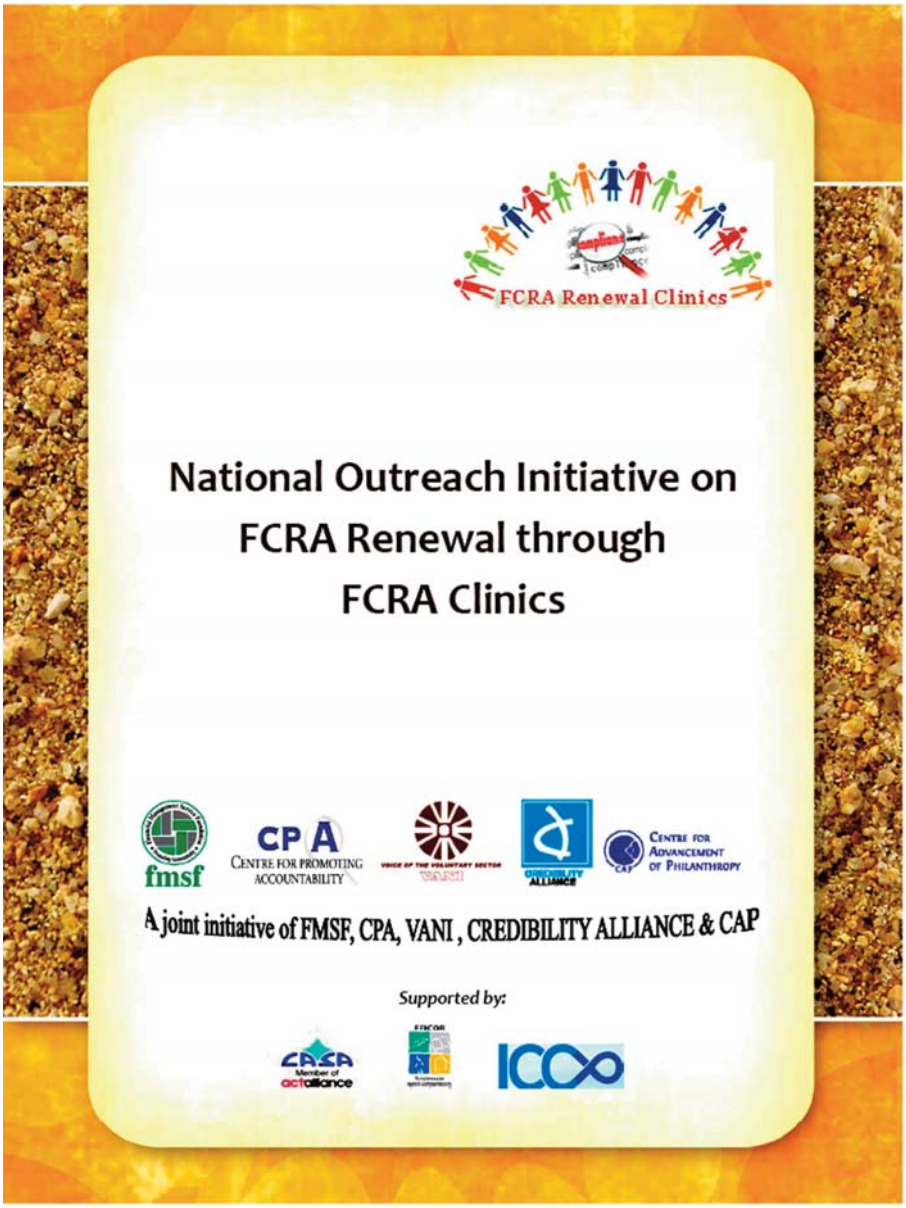

11. उल्लंघन के मामले में, पुराने कानून के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जेल भेजा जा सकता था। संशोधित कानून में उसे जुर्माना देना पड़ेगा।

12. अगर किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है तो वह तीन वर्ष बाद एफसीआरए 2010 के अंतर्गत नये पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती है।

सत्र के अंत में सहभागियों की समझ का आकलन करने और बाकी बचे संदेहों को दूर करने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक केस स्टडी का आयोजन किया गया।

तकनीकी सत्र 2 : एफसीआरए, 2010 के मुद्दे

इससे पहले कि हम एफसीआरए कानून के तकनीकी पहलुओं पर विचार करें, उसके इतिहास और उसके निहित इरादे को समझना जरूरी है। सत्र की शुरूआत कानून के जन्म का पता लगाने के साथ हुई। शुरू में सरकार ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को एफसीआरए के अंतर्गत गृह मंत्रालय के सम्मुख आय–व्यय विवरण जमा करने के लिए निर्देशित किया था। इसलिए एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि संस्थाओं को पंजीकरण करना होगा। यह अध्यादेश संसद में बिना विचार–विमर्श के पारित किया गया क्योंकि विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया था।

अपने वर्तमान रूप में एफसीआरए कानून स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत करता है। इस सत्र में इन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया जिसका सारांश इस प्रकार है:

1. एफसीआरए के अंतर्गत 40,000 गैर–सरकारी संस्थाओं के पंजीकृत होने का अनुमान लगाया जाता है। किन्तु इनमें से केवल 20,000 संगठन पंजीकृत हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। मंत्रालय के रिकार्डों के विश्लेषण से पता चलता है कि अनेक धार्मिक और शैक्षिक संस्थाएं देश में आने वाली विदेशी निधियों का एक बड़ा भाग प्राप्त कर रही हैं, पर इस डाटा को परोपकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं से संबंधित डाटा के साथ मिला दिया जाता। इससे स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समस्याएं पैदा होती हैं।

2. किसी भी विदेशी योगदान पर विचार करने के लिए – चाहे वह योगदान मुद्रा, वस्तु या कमाये गये ब्याज के रूप में हो– एफसीआरए कानून सूत्रित किया गया। इसलिए संस्थाओं को प्राप्त पैसे ने स्रोत के संबंध में अत्यधिक चौकसी बरतने की जरूरत है। सहभागियों को सुझाव दिया गया कि वे इस संबंध में लिखित वचनबद्धता प्राप्त करें कि क्या अनुदानकर्ता द्वारा दिया गया धन भारतीय है या विदेशी है।

3. एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं दूसरी एफसीआरए पंजीकृत संस्था को पैसा दे सकती हैं बशर्ते कि प्राप्तिकर्ता संगठन ने हमेशा नियमों का पालन किया हो और वह कभी भी ब्लैकलिस्टिड न हुआ हो। यह सुनिश्चित करने के लिए सहभागियों को सूचित किया गया कि वे इस संबंध में वचनबद्धता प्राप्त करें कि प्राप्तिकर्ता संगठन के पास एफसीआरए है, वह वार्षिक रिटर्न भर रहा है, उसकी कभी जांच नहीं हुई और प्राप्त पैसे का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिस उद्देश्य से उसे प्राप्त किया गया है।

4. गृह मंत्रालय एक सरल सी अधिसूचना के माध्यम से किसी भी संस्था को पूर्व अनुमति वाले वर्ग से हटा सकता है। इस मामले में केवल बैंक को अधिसूचित करना पड़ता है और संस्थाओं को इसकी जानकारी नहीं दी जाती यह किसी भी संस्था के सुचारू कार्य में बाधा डाल सकता है।

5. एफसीआरए कानून के अंतर्गत किसी भी संस्था के खिलाफ शिकायत के मामले में संस्था के बैंक एकाउंट फ्रीज कर दिये जाते हैं। जांच में अनेक वर्ष लग सकते हैं। इसके अलावा आईबी की जांच रिपोर्ट – जिसके आधार पर कार्रवाई की गई थी – कभी भी आम लोगों के सामने नहीं लाई जाती। इस लिए संस्था के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां वह आगे विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि उसका लेखा या एकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक संस्था राहत पाने और अपने खाते दुबारा शुरू कराने के लिए न्यायालय के पास भी नहीं जा सकती।

6. नये कानून के भाग–14 में यह कहा गया है कि अगर एफसीआरए एकाउंट में किसी संस्था ने दो वर्ष तक कोई उचित कार्यकलाप नहीं दर्शाया है तो उसका पंजीकरण रद्द हो सकता है। लेकिन "कार्यकलाप" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस संबंध में सहभागियों ने यह सुझाव दिया कि वे अपनी बेलेंस शीट और वार्षिक रिपोर्ट 'निल रिटर्न' के साथ जमा करेंगे ताकि यह दर्शा सके कि संस्था अभी भी काम कर रही है।

7. जब एफसीआरए रिटर्न फाइल किया जाता है तो गृह मंत्रालय

का एफसीआरए विभाग इसके लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं करता। इसका मतलब यह है कि रिटर्न फाइल करने के कोई ठोस सबूत संस्थाओं के पास नहीं होते। उनके पास इसकी हार्ड कॉपी भी नहीं होती। इतना ही नहीं, मंत्रालय सूचनाओं की प्राप्ति – सूचना भी नहीं देता। संस्थाओं को यह सलाह दी गई कि वे कूरियर की प्राप्ति रसीद अपने पास रखें और अन्य दस्तावेज भी संप्रेषण के प्रमाण के रूप में अपने पास रखे।

मंत्रालय का यह अनुत्तरदायी रुख यह दर्शाता है कि एफसीआरए हर कदम पर संस्थाओं को जवाबदेह बनाना चाहता है जबकि सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त है।

तकनीकी सत्र 3: एफसीआरए नवीकरण

समापन सत्र एफसीआरए के लिए नवीकरण कार्य–प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नवीकरण का अनुच्छेद नये एफसीआरए कानून में शामिल किया गया था और इसमें यह कहा गया है कि संस्था को पंजीकरण की तिथि से हर पांच साल में अपना नवीकरण कराना होगा

इस अधिनियम के भाग 16 के अनुसार पंजीकरण के समापन की तिथि से छह महीने पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके अलावा, कानून के भाग 12 में यह प्रावधान है कि अनेक वर्षों वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं पंजीकरण समाप्ति के एक वर्ष पहले आवेदन कर सकती हैं।

कई संस्थाएं निर्धारित समय पर नवीकरण आवेदन फाइल न कर पाने के कारण लागू होने वाले जुर्माना और निवारण प्रक्रिया के बारे में पूछती हैं।

उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि अगर नवीकरण आवेदन जमा नहीं किया जायेगा तो संस्था पंजीकरण रद्द हो सकता है और आगे से संस्था अनुदान प्राप्त नही कर सकती। किन्तु इस कानून में यह प्रावधान भी है कि संस्थाएं विलंब का कारण बताते हुए उपयुक्त तिथि के चार महीने के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं। अगर कारण संतोषप्रद हों तो केंद्र सरकार विलंब को माफ भी कर सकती है।

अगर किसी संस्था का आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो वह एक वर्ष के भीतर समीक्षा याचिका दायर कर सकती है। इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि नये कानून में यह कहा गया है कि अगर संस्था ने समीक्षा याचिका दायर कर दी है तो वह न्यायालय मे अपील कर सकती है। पर क्योंकि संविधान में हर नागरिक को शिकायत निवारण का अधिकार है, इसलिए यह माना जाता है कि याचिका गृह मंत्रालय के पास समीक्षा याचिका फाइल किये जाने के बावजूद न्यायालय में दायर की जा सकती है।

दोनों मामलों में (आवेदन न करना या फिर आवेदन का अस्वीकृत होना) संस्थाएं नये पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस बीच वे तब तक अपनी परिसंपत्तियों का उपयोग कर सकती हैं जब तक एफसीआरए विभाग से कुछ और करने का विशेष निर्देश न हो।

समापन टिप्पणी

क्लीनिक का समापन स्थानीय साझेदारों, सहभागियों और संसाधन व्यक्तियों का धन्यवाद करने के साथ और साथ ही इस आशा के साथ हुआ कि बैंक सभी सहभागियों के लिए सुगम नवीकरण प्रक्रिया का लक्ष्य हासिल करने में सफल होगी।

इस तथ्य के प्रति सामूहिक संज्ञान और यह प्रतिबद्धता थी कि नागरिक समाज को संकट के समय झुकना नहीं चाहिए। इसकी बजाये, क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर नागरिक समाज की मिली जुली आवाज उठाई जानी चाहिए और इसके लिए एक साझा एजेंडा तैयार किया जाना चाहिए।

भारत में पर्यावरण और अधिकार समूहों का क्या भविष्य है?

— एलिस फ्रैंसिस,
DevEx.com

प्रशासन के आलोचकों पर व्यापक रूप से कहर ढहाते हुए भारत सरकार उन गैर–सरकारी संस्थाओं को निशाना बना रही है जिन्हें विदेशों से निधियां प्राप्त हो रही हैं।

भारत में गैर–सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के समूहों के सदस्यों के अनुसार यह बात कही जा रही है। इनमें से कुछ समूहों ने अपने अभियानों की तेजी को कम कर दिया है और इस क्षेत्र से बाहर निकल गये हैं क्योंकि यह उनके कार्य के लिए जोखिमपूर्ण लग रहा है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रमुख आलोचक और सबरंग ट्रस्ट तथा "सिटिजन्स फार जस्टिस एंड पीस" के सह–स्वामी जावेद आनंद का यह कहना है कि "उन्होंने केवल हमारे एकाउंट्स बंद कर दिये, बल्कि व्यक्तिगत एकाउंट भी बंद कर डाले हैं"।

ये दो गैर–सरकारी संगठन टकराव–समाधान कार्यक्रम चलाते हैं और 2002 में गुजरात में हुए दंगों (जिनमें 1,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे और वह भी तब जब मोदी इस पश्चिमी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री थे) से उभरे न्यायिक मामलों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

पिछले महीने विश्व की सबसे बड़ी अनुदान प्रदान करने वाली संस्था फोर्ड फाउंडेशन इस विवाद में घसीट लिया गया। तब भारत के गृह मंत्रालय ने फोर्ड फाउंडेशन पर देश में "सांप्रदायिक वैमनस्थ (डिस्हार्मोनी) फैलाने" का आरोप लगाया था।

फोर्ड फाउंडेशन 'सबरंग' और सीजेपी संस्था का मुख्य अनुदानकर्ता रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा इस आरोप के बाद फोर्ड फाउंडेशन को जांच निगरानी सूची में डाल दिया गया और अब सबरंग संस्था को दिये गये उसके अनुदान की जांच की जा रही है।

आनंद ने डेवेक्स को बताया कि, "वे लोग हमारे विदेशी अनुदानकर्ताओं पर निशाना साध कर हमें पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय अनुदानों को रोकने के लिए नकारात्मक मीडिया अभियान चला रहे हैं।"

भारत के गैर–सरकारी संगठनों पर लीक की गई रिपोर्ट जिसमें कोई तथ्य नहीं है।

भारत के गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि इस "पूर्ण रूप से पर्यावेक्षणकारी रिपोर्ट से – जिसमें यह कहा गया है कि वे देश के आर्थिक विकास को तहस–नहस कर रहे हैं– उनके कार्यों पर

कोई फर्क नहीं पड़ा है। कई संगठन सरकार के डर से खुलकर नही बोलते हैं।

सबरंग देश की ऐसी अनेक गैर–लाभकारी संस्थाओं में से एक है जिसकी अधिकारियों द्वारा जांच की गई है और जिससे सवाल पूछे गये है उनकी विदेशी निधियों को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि विदेशी निधिदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठन खनन, ऊर्जा और जेनेटिक रूप से संशोधित भोजन के खिलाफ अभियान चलाकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

फोर्ड फाउंडेशन के खिलाफ भारत के गृह मंत्रालय की जांच की वजह से अमरीका ने भारत सरकार से "स्पष्टीकरण" मांगा है और कहा है कि भारत सरकार अपने विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम 2010 का उपयोग इस तरीके से कर रही है जिससे संस्थाओं के लिए समस्याएं खड़ी हो रही है। एफसीआर के अंतर्गत संस्थाओं के लिए यह जरूरी है कि वे पहले सरकार के पास पंजीकरण कराये और तभी वे विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकती हैं।

फोर्ड फाउंडेशन ने भारत में कई समय से अनेक परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है, पर निगरानी सूची (वाच लिस्ट) में उसे शामिल करने का मतलब यह है कि भारत में निधिदान (फंडिंग)

से चलने वाले सभी कार्यकलापों की जांच की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों को न्यू–यार्क आधारित इस संस्था द्वारा किये गये मौद्रिक हस्तांतरण की जांच की जानी चाहिए।

ग्रीन पीस का मामला

भारत में ग्रीनपीस संस्था के एकाउंट भी फ्रीज कर दिये गये है। उसका एफसीआरए पंजीकरण दो बार रद्द किया जा चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनवरी में निधियों को जारी करने का आदेश दिया, पर अप्रैल में उन्हें फिर से फ्रीज कर दिया गया। अधिकारियों ने इस जानेमाने पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन पर आरोप लगाया कि उसने निधियों की जानकारी नहीं दी और देश के आर्थिक तथा सार्वजनिक हित को अपनी तरह से प्रभावित किया।

इस बार तो सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई। उसने ग्रीनपीस इंडिया में एकाउंट को ही फ्रीज नहीं किया बल्कि स्थानीय अनुदान प्राप्त करने वाले उसके सात घरेलू एकाउंट्स थे – जो उसकी फंडिंग का 70 प्रतिशत थे – बंद कर दिया।

ग्रीनपीस इंडिया की कार्यक्रम निदेशक, दिव्या रघुनंदन ने डेवेक्स को बताया कि, "इसे बंद करने का मतलब यह है कि 350 लोगों को वेतन नहीं मिलेंगे।"

रघुनंदन को यह डर भी है कि सरकार ग्रीनपीस इंडिया के परोपकारी संस्था वाले दर्जे को और आय कर छूट को समाप्त करने जा रही है।

उनका कहना था कि, "इससे हमें यह मानना पड़ता है कि यह ग्रीनपीस को निशाना बना कर किया गया हमला है।"

पर सरकार के पास शायद इस एडवोकेसी संगठन के परोपकारी दर्जे को हटाने का समय भी न हो। 5 मई को ग्रीन पीस के कार्यकारी निदेशक, समित एस ने कर्मचारियों को बताया कि अब काम चलाने या कार्यकलाप चलाने के लिए केवल एक महीने की निधियां ही उपलब्ध हैं। अगर सार्वजनिक अनुदानों से पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं होगा और रोके गये खाते शीघ्र नहीं खुल जाते हैं तो ग्रीनपीस इंडिया को देश में अपने सभी कार्यालय बंद करने पड़ेंगे जिसकी वजह से 340 लोग अपनी नौकरियां खो देंगे।

एक ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई जिसे देश से बाहर जाने से जनवरी में रोक दिया गया था – डेवेक्स को बताया कि, "जनतांत्रिक स्थान अब सिकुड़ता जा रहा है।"

गैर–सरकारी संस्थाओं पर यह कहर "ऊपर की ओर से" टूटा है

भारत लंबे समय से विदेशी एनजीओज को संदेह की दृष्टि से

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनवरी में निधियों को जारी करने का आदेश दिया, पर अप्रैल में उन्हें फिर से फ्रीज कर दिया गया। अधिकारियों ने इस जानेमाने पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन पर आरोप लगाया कि उसने निधियों की जानकारी नहीं दी और देश के आर्थिक तथा सार्वजनिक हित को अपनी तरह से प्रभावित किया।

देखता रहा है, उदाहरण के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी से पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा तैयार कराई गई थी। पर पिछले प्रशासन के विपरीत मोदी "आक्रामक" हैं।

रघुनंदन का कहना है कि "यह हमला शीर्षस्थ स्तर से आया है। इसलिए अब नौकरशाही किसी भी प्रकार की संलग्नता के लिए खुली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पहले कुछ माध्यम" कम से कम पार्टी के भीतर खुले तो रहते थे।

रघुनंदन ने बल देकर कहा कि अधिक चिंता की बात यह है कि ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जो यह सुझाते हैं कि अन्य क्षेत्रों में "विरोध को और अधिक दबाया जायेगा जिसे पुस्तकें, फिल्में, सामाजिक मडिया को सेंसर करना या उन पर पाबंदी लगाना शामिल होगा। उनका कहना था कि "यह सचमुच चिंताजनक बात है क्योंकि यह व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है।

भारत में 10 सबसे बड़े विदेशी निधियां प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठन

भारत में विदेशी निधियां प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को सरकारी जांच का अधिक सामना करना पड़ा है क्योंकि एक लीक की गई रिपोर्ट में उन पर ऐसे राष्ट्र विरोधी कार्याकलाप चलाने का आरोप लगाया गया है जो विकास कार्य को रोकते हैं। पर वे कौन सी गैर–सरकारी संस्थाएं हैं जो विदेशी समूहों से योगदान के रूप में सबसे अधिक निधियां प्राप्त कर रही हैं। डेवेक्स ने इस संबंध में पता लगाने के लिए डाटा का गहन विश्लेषण किया।

एनजीओज सावधानी के साथ व्यापक प्रतिक्रिया की है।

गैर–सरकारी एसोसिएशन, वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री हर्ष जेतली ने कहा कि हमने सरकार का प्रतिरोध करने के लिए कोई सुस्पष्ट अभियान नहीं देखा है। उनके

अनुसार इसका कारण स्वैच्छिक क्षेत्र का "कमजोर सामूहिकीकरण है।

रघुनंदन का मानना है कि कई गैर–सरकारी संगठन अपने अधिकतर वित्त के लिए विदेशी निधियों पर निर्भर रहे हैं। इसके चलते कुछ ने अपने वित्त के स्रोत बदले हैं और वे जोखिमपूर्ण स्रोतों से निधियां जुटा रहे हैं।

उनका कहना था, "अगर उनके एफसीआरए को लेकर कार्रवाई की जाती है तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं" उन्होंने कहा कि यह समझा जा सकता है कि लोगों को किस प्रकार का भय सता रहा है।

संदेश प्रक्रिया का धीमा होने से चिंताओं का बढ़ना

चिंता की बात यह है कि कानूनों और नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि आप फिर भी संदेह के घेरे मे रहते हैं। यह कहना था चैतन्य कुमार का जो 350.org के दक्षिण एशिया अभियान समन्वयक हैं। यह संस्था अमरीका की ऐसी चार गैर–लाभकारी संस्थाओं में से है जिसका विदेशी अनुदान स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रोक दिया गया था। हालांकि 350.org भारत में पंजीकृत नहीं है और उसका कोई एफसीआरए एकाउंट नहीं है, फिर भी कुमार से सवाल किये जा रहे हैं जो खबर प्रसारित होने के बाद साथ ही ग्लोबल एक्टिविस्ट ग्रुप के लिए एक कंसलटेंट के रूप में काम करते हैं।

उन्होने डेवेक्स को बताया, "हमें अपनी ओर से यह स्पष्ट करना पड़ा कि आखिर पैसा कहां से आ रहा है और हम क्या–क्या कार्यकलाप चला रहे हैं।"

इसके बाद 350.org ने अभियान की संदेश प्रक्रिया को धीमा करने का फैसला किया – भारत की कोयला शक्ति पर निर्भरता को चुनौती देने से लेकर वायु प्रदूषण के संबंधित मुद्दों तक। अभियान समन्वयक का कहना था कि पहली बात व्यवहार्य नहीं है क्योंकि "इस समय देश में अत्यधिक सरगर्म माहौल बना हुआ है और हम इस संबंध में जो भी कहेंगे उसे तत्काल राष्ट्र–विरोधी बताया जायेगा।

कुमार ने कहा कि नागरिक समाज इस तथ्य के प्रति जागरूक हो रहा था कि एफसीआरए के नियम संस्थाओं के कार्य को सीमित कर सकते हैं विशेष करके उन संस्थाओं के कार्य को सरकार और उसकी विकास योजनाओं को लेकर कठिन सवाल खड़े करती हैं। जो संस्थाएं पर्यावरण और अधिकार आधारित मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं उनकी जांच–पड़ताल किये जाने का सबसे अधिक खतरा है विशेष कर हर चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रभाव डालने वाले कारक के रूप में देखा जाता है।

यह मालूम नहीं कि कितनी संस्थाएं सरकार के "माइक्रोस्कोप" के दायरे में आ चुकी है। गृह मंत्री किरण रिज्जू ने फरवरी में संसद को बताया कि सरकार के वर्तमान वित्त वर्ष में 26 गैर–सरकारी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और 14 विदेशी अनुदानकताओं को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है।

जून के बाद से गृह मंत्री ने एफसीआरए के अंतर्गत आवश्यक वार्षिक रिटर्न न भरने के कारण हजारों गैर–सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया। 6 अप्रैल के सबसे ताजा आदेश के माध्यम से 8,975 संस्थाओं पर विदेशी अनुदान प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई। इस तरह के रद्द किये जाने के आदेश पिछली सरकार के अंतर्गत भी नियमित रूप से जारी किये जाते थे।

ग्रीन पीस इंडिया ने विरोध के मुद्दे पर एक सामूहिक अभियान शुरू किया है। पर रघुनंदन का कहना है कि छोटी संस्थाओं और नागरिक समाज को एक मंच पर लाना विदेशी निधिदान से जुड़ी संस्थाओं को एक मंच पर लाने की तुलना में "काफी अधिक आसान" होता है।

यह देखा जाना बाकी है कि इस अभियान का कितना प्रभाव पड़ेगा, पर निधिदान से संबंधित चिंताओं को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है कि जल्दी ही गैर–सरकारी संस्थाओं के बीच कोई व्यापक आंदोलन खड़ा होगा। इस बीच विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र भारत में पर्यावरण और अधिकार–आधारित मुद्दों को लेकर काम करने वाली संस्थाओं का भविष्य अधर में लटका रहेगा।

अधिसूचना

प्रिय सदस्यो और मित्रो,

आपको सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय उन संस्थाओं की सूची को अपलोड कर रहा है जिनका एफसीआरए एकाउंट रद्द किया गया है। अगर आप इस सूची को देखना चाहते हैं तो कृपया ध्यान दें कि यह गृह मंत्रालय की वेबसाइट के एफसीआरए भाग में राज्यों के अनुसार उपलब्ध है।

नेपाल का भूकंपः त्रासदी से सबक

— शिवानी वैष्णव, कार्यक्रम अधिकारी, वाणी

"जब हम भूल जाते हैं, तब भूकंप कहर ढाहते हैं" – जापानी कहावत

25 अप्रैल 2015 को 7.8 रिक्टर स्केल के एक भूकंप ने नेपाल, भारत, बंगलादेश और चीन के कई भागों को हिला कर रख दिया। भूकंप का केन्द्र बरपाम, नेपाल था। नेपाल में इस विनाशकारी भूकंप की सबसे बड़ी मार झेलीः 8,800 मौत के शिकार हो गये, 23,000 से अधिक घायल हुए और 10 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की आर्थिक क्षति हुई। इससे भी भयानक बात यह कि देश के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास की भारी क्षति हुई। विश्व ने उदारता के साथ सहायता प्रदान की और सभी जगहों से सहायता प्रदान की गई। एशियाई पड़ौसी देश भारत ने सबसे पहले राहत और बचाव सामग्री पहुंचाई। भारतीय सरकार और नागरिक समाज संगठनों ने कुछ ही घंटों के भीतर नेपाल जरूरतों का प्रत्युत्तर दिया। सरकार की सलाह से भारत की सेवा ने आपरेशन मैत्री की शुरूआत की। यह प्रयास सहायनीय था।

भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के अलावा राज्य सरकारों, विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार ने राहत आपूर्तियां प्रदान नेपाल सरकार के प्रयासों को पूरित करते हुए स्थानीय लोगों और नागरिक समाज ने कार्य किया जिसमें अनेक गैर–सरकारी संस्थाएं, धार्मिक संगठन और अन्य संस्थाएं शामिल थीं।

नेपाल में यह स्पष्ट हो गया कि (और यह बात हमने विपदा के बाद की अन्य स्थितियों में भी देखी है) संकट के समय में भी अंधराष्ट्रवाद अक्सर सहायता प्रदान करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। सहायता देने वाला और सहायता पाने वाला दोनों ही अलग–अलग उद्देश्यों से विपदा से निबटते हैं और सहायता प्रदान करते हैं और वे अक्सर टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। नेपाल इसका एक उदाहरण हैः भारत के उत्साहपूर्ण प्रत्युत्तर और उसके द्वारा भारतीय राज्य सेना की भूमिका को उजागर करने के प्रयासों ने नेपाल को विरोधपूर्ण स्थिति में ला दिया। नेपाली लोगों ने जो भारतीय संचार माध्यमों का सक्रियता से उपयोग करते हैं – महसूस किया कि स्थानीय प्रयासों की उपेक्षा करके और भारत के प्रयासों की दर्शा का भारत विपदा को प्रचार अभियान बना रहा है और अपना गुणगान कर रहा है।

म्यानमार, पाकिस्तान और यहां तक कि भारत की तरह विपदाओं के प्रति प्रत्युत्तर भू–राजनीतिक सीमाओं द्वारा निरूपित होते हैं। जब 2008 में म्यानमार के साइक्लोन नर्गिस ने कहर बरपा किया तब उसकी सैन्य जुंटा ने बंगलादेश जैसे कुछ चुने हुए देशों को छोड़ कर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता प्राप्त करने से मना कर दिया। इसी प्रकार संकट के समय में तब अहंकार के साथ सहायता की पेशकश पर प्रतिक्रिया की। यह हाल में कश्मीर में (लाइन आफ कंट्रोल के दोनों तरफ) आई बाढ़ के दौरान स्पष्ट हो गया। नेपाल में यह भारत और चीन के बीच खींचतान के रूप में सामने आया, पर साथ ही इसमें ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमरीका भी शामिल थे। ब्रिटिश "चाइनूक" हेलिकॉप्टरों को नेपाल में प्रविष्ट न होने देने के मामले का संबंध 1996–2006 से नेपाल के गृह युद्ध के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए कर्नल कुमार लामा को अभ्यारोपित करने को लेकर नेपाली सेना की नाखुशी थी।

नेपाल में विपदा के बाद की राहत की प्रक्रिया इतने बड़े विनाश के प्रत्युत्तर की जटिलताओं के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण अंतदृष्टियां प्रदान करती हैं। यह लेख इनमें से कुछ चुनौतियों को उजागर करता है और प्रत्युत्तर की प्रमुख द्विपक्षीय यानी दो राष्ट्रीय सरकारों के बीच प्रकृति के विकल्पों की छानबीन करता है। किन्तु अंधराष्ट्रवाद और भू राजनीतिक सीमाओं के परे जाने के संभावित रास्ते हैं – एक है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)[1] के बहुपक्षीय पर; और दूसरा है विपदा तैयारी और प्रत्युत्तर के लिए नागरिक समाज के संगठनों को लामबंद करना। दोनों के अपने

[1] *SAARC was established in 1985, comprising of Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Maldives, India and Afghanistan (which later joined in 2007).*

गुण और सीमाएं हैं जिन पर इस लेख में विचार किया गया है।

सार्क की विपदा प्रबंधन व्यवस्था

जब विश्व भर के संगठन और राष्ट्र नेपाल की सहायता के लिए आगे आये, तब दुर्भाग्य से सार्क अनुपस्थित रहा। दक्षिण एशिया के देशों ने आर्थिक मदद और सहायता द्विपक्षीय आधार पर प्रदान की थी। साथ ही क्षेत्र के लोगों के बीच इससे अच्छे संपर्कों का प्रदर्शन भी हुआ। और फिर भी एक संगठन के रूप में सार्क कहीं नजर नहीं आया और उसके बारे में सुना भी नहीं गया पर क्या हमेशा यही स्थिति बनी रहनी चाहिए? क्या सार्क आगे बढ़ कर सहायता प्रदान नहीं कर सकता था और सैद्धांतिक रूप से मौजूद अपने कार्यतंत्रों को लेकर काम नहीं कर सकता था।

सार्क ने नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में सार्क विपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी) की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य "नीतिगत परामर्श प्रदान करना और रणनीतिक अधिगम, शोध, प्रशिक्षण, प्रणाली विकास तथा जानकारी के आदान–प्रदान सहित क्षमता निर्माण सेवाओं को सुगम बनाना है। कोलंबो में आयोजित पंद्रहवें सार्क सम्मेलन (2008) के दौरान प्राकृतिक विपदाओं से निबटने के लिए एक कार्यतंत्र स्थापित करने की जरूरत को लेकर आवाज उठाई गई थी। इसके फलस्वरूप मालद्वीप में आयोजित 17 वें सार्क सम्मेलन (2011) के दौरान प्राकृतिक विपदाओं के तीव्र प्रत्युत्तर पर सार्क समझौते (SARRND) को हस्ताक्षरित किया गया। प्राकृतिक विपदाओं पर सार्क समझौते का लक्ष्य पक्षों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण परिसंपत्तियों की और जीवन की क्षति में ठोस कमी लाने के लिए तीव्र विपदा प्रत्युत्तर के लिए प्रभावकारी क्षेत्रीय कार्यतंत्रों की व्यवस्था करना और ठोस राष्ट्रीय प्रयासों तथा सघन क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से विपदा संकटों पर संयुक्त रूप से कार्य करना है। फिर भी नेपाल के भूकंप के दौरान यह ठोस प्रत्युत्तर स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था।

पीपल्स सार्क (पीएसएएआरसी) ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नेपाल का भूकंप : विपदा प्रबंधन और दक्षिण एशिया के पुनर्निर्माण में सार्क की भूमिका विषय पर एक पैनल विचार–विमर्श का आयोजन किया। पैनल ने विपदाओं के दौरान सार्क के एक सक्रिय शक्ति बनने की संभावनाओं पर चर्चा की। इस बात को उजागर किया गया कि सार्क के अलग–अलग देशों ने नेपाल में बचाव दल भेजें और सहायता प्रदान की, पर एक सामूहिक शक्ति के रूप में सार्क नौकरशाहाना बाधाओं और तैयारी के अभाव में सार्क प्रतिक्रिया करने में विफल रहा। एसडीएमसी से प्रदान की जा रही राहत और बचाव कार्य का डाक्यूमेंटेशन करने के लिए एक चार सदस्यसीय टीम काठमांडू भेजी ताकि भविष्य में विपदा के मामलों में उपयोग किये जाने के लिए शोध डाटा तैयार किया जा सके। दक्षिण एशिया के पास विपदाओं से प्रभावकारी रूप से निबटने के लिए क्षमता और मानव शक्ति का अभाव है।

इसलिए एसडीएमसी को राष्ट्रीय सरकारों और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जोड़ कर उसकी भूमिका का विस्तार करने को कहना था कि सार्क विकास निधि और सार्क खाद्य बैंक मानवतावादी सहायता प्रदान करने में सक्षम है, पर फिर भी भूकंप को लेकर सहायता का स्वरूप द्विपक्षीय ही बना रहा। एसडीएमसी संबंधी फैसले सार्क महासचिव द्वारा लिये जाते हैं। इससे विशेष रूप से विपदा प्रत्युत्तर के जरूरी तत्परता को देखते हुए प्रतिक्रिया के समय में अनिवार्य रूप से विलंब होता है।

विपदाओं के प्रति नागरिक समाज के मानवतावादी दृष्टिकोण

नेपाल में हाल के विपदा प्रत्युत्तर के दौरान प्रमुखता से उभर कर सामने आया एक पहलू यह था कि संकट के प्रत्युत्तर में लगभग सभी राष्ट्रों ने अपनी सेना का इस्तेमाल किया। अगर राज्य (और उसकी सेना) से स्वतंत्र सहायता और राहत कार्य को सुगम बनाने वाला कोई गैर–सरकारी कार्यतंत्र होता तो इस समस्या से बचा जा सकता था। सीएसओज के सामने चुनौती एक ऐसा विपदा प्रत्युत्तर और तैयारी कार्यतंत्र तैयार करने की है जो द्विपक्षीय खींचतान और लालफीताशाही से बचा सके।

वर्तमान राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए, इस बात की संभावना नहीं है कि सीएसओज विपदा प्रत्युत्तर में सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पर उन्हें विपदा तैयारी और ज्ञान के आदान–प्रदान में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस मामले में भारत के सीएसओज को – उनके आकार और अनुभव को देखते हुए क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों और संगठनों को एकजुट करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए जो अपनी सरकारों पर दक्षिण एशिया के सामूहिक अनुभव से सीखने के लिए दबाव डाल सकें। उदाहरण के लिए, 1970 में बंगलादेश में समुद्री तुफानों की वजह से हताहत होने वाले लोगों की संख्या 5,00,000 थी, जबकि 2007 में हताहतों की संख्या 4,234 मात्र थी। इसका कारण सुरक्षात्मक कदम और समुद्रतटीय क्षेत्रों में स्थापित की गई संचार प्रणाली हो सकती है। फिर भी भारत के समुद्रतटीय क्षेत्र अपर्याप्त तैयारियों की वजह से समुद्री तूफानों की मार झेल रहे हैं बंगलादेश से यह नहीं सीखा गया कि किस तरह से उसने विपदा तैयारी कार्यतंत्र स्थापित किया। इसी प्रकार से उत्तराखंड और कश्मीर में बाढ़ों से संबंधित जो अनुभव रहा है उसका उपयोग पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान में विपदा प्रबंधन समाधानों के लिए किया जा सकता है और इन देशों के अनुभव का उपयोग भारत के लिए किया जा सकता है।

इस मामले में भारत के सीएसओज को – उनके आकार और अनुभव को देखते हुए क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों और संगठनों को एकजुट करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए जो अपनी सरकारों पर दक्षिण एशिया के सामूहिक अनुभव से सीखने के लिए दबाव डाल सकें।

विपदाओं के दुष्परिणाम और प्रभाव अनेक–स्तरीय होते हैं और वे समाज के अलग–अलग भागों को अलग–अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। नेपाल के भूकंप ने स्वैच्छिक कार्य या स्वयंसेवी कार्य के उभार को देखा। नेपाल के युवाओं ने उन क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में भाग लिया जहां सरकार और गैर–सरकारी संस्थाएं नहीं पहुंच पाईं। स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने चुनौती यह है कि वह विभिन्न तबकों और सामाजिक भागों के विभिन्न भागों को पूरा करने के लिए अपने प्रत्युत्तर को किस प्रकार से तैयार करता है। यह तो समय ही बतायेगा कि क्या इस क्षेत्र के नागरिक समाज संगठन संकट की पराकाष्ठा के समय अपने को सीमित करते हैं; कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं और संचार माध्यमों का ध्यान हट जाने पर चले जाते हैं या फिर वे लंबे समय की पुनर्वास प्रक्रिया के लिए टिके रहते हैं। दक्षिण एशिया में साझी सरहदों की वजह से एक देश में विपदा का प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ता है। अतः यह सरहदों को मजबूत बनाने का समय भी है। उदाहरण के लिए भौगोलिक रूप से नेपाल से उत्तराखंड और बिहार के लिए डॉक्टर और सहायता कार्यकर्ता प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक है। यह बात तमिलनाडु और श्रीलंका के बारे में भी सच ठहरती है।

पीएसएएआरसी के पैनल विचार–विमर्श में नागरिक समाज के परिप्रेक्ष्य के अनुठेपन को उजागर किया। यह परिप्रेक्ष्य हर विपदा को एक मानवतावादी संकट के रूप में देखता है नेपाल के भूकंप से प्रभावित लोगों की असुरक्षा को व्यापक रूप से प्रकट किया; उदाहरण के लिए यौन हमलों में और महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी में तेजी से वृद्धि हुई। नागरिक समाज के योगदान का निर्धारण इन असुरक्षाओं को दूर करने की उसकी क्षमता से होता है। हर विपदा अपने साथ किसी नई चीज के निर्माण का अवसर लेकर आती है; यह स्थानीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए अवसर पैदा करती है और विपदा प्रबंधन ने हर स्तर पर कार्य करने वाले लोगों के कौशलों का विकसित करती है। इसलिए नेपाल के

विपदा–पश्चात के चरण में नेपाल के पुनर्निर्माण में नागरिक समाज की एक प्रमुख भूमिका है।

आगे का रास्ता

बचाव और राहत के चरण के बाद, पुनर्वास प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से और अधिक प्रयासों की जरूरत होगी। एसडीएमसी के माध्यम से सार्क और अन्य क्षेत्रीय केंद्र इस दीर्घकालिक पुनर्वास प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में नागरिक समाज को भागीदार बनाने से जनता से जनता के बीच संपर्क की दृष्टि से व्यापक प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्र का नागरिक समाज अंधराष्ट्रवाद को सीमित करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दिसंबर 2016 तक सार्क सेटेलाइट के शुरू किये जाने से सामूहिक क्षेत्रीय स्तर पर विपदा मॉनीटरिंग और प्रबंधन में मदद मिल सकती है। पर यह उम्मीद करना कुछ आशावादी लगता है कि नौकरशाहाना बाधाओं से ग्रस्त सार्क उससे कुछ अलग ढंग से प्रतिक्रिया करेगा जैसे की अब कर रहा। कहने का मतलब यह नहीं कि क्षेत्रीय संस्थागत कार्यतंत्र में कोई गुण नहीं होते, पर सार्क और उसके क्षेत्रीय ढांचे साथ उभरने वाली पूरक बाधाओं के बिना शायद नागरिक समाज संगठन अधिक व्यापक भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ

डीएनए इंडिया (2015, 16 मई)। नेपाल को इस भूकंप से 10 बिलियन का नुकसान हुआ। स्रोतः<http://www.dnaindia.com/world/report-nepal-suffered-up-to-us-10-billion-loss-in-quake-government-2086280>

फ्रीमैन सी (2015, 2 जून), नेपाल भूकंप के पीड़ितों ने ब्रिटिश सहायता प्राप्त करने से मना किया। स्रोतः <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/ nepal/11645116/Nepal-earthquake-victims-denied-British-aid-over-grudge-with-UK-government.html>

ग्यावली, एस. (2015, 5 मई) दि रेकी टीम/स्रोतः <http://himalmag.com/recce/>

हक,एच और अन्य (2011, 24 अक्टूबर) बंगलादेश में समुद्री तुफानों से मृत्यु दर में कमी; और क्या किया जाना चाहिए। स्रोतः <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3302549/>

मक्कर, एस. (2015, 16 मई) भारत ने नेपाल में अपना राहत कार्य किस प्रकार से आयोजित किया। स्रोतः<http://www.business-standard.com/article/current-affairs/how-india-organised-its-relief-work-in-nepal-115051600928_1.html>

राधाकृष्णन,आर.के. (2011, 30 मई) सार्क ने विपदा प्रस्युत्तर समझौते का प्रारूप तैयार किया। स्रोतः <http:// www.thehindu.com/todays-paper/tp-international/ saarc-drafts-disaster-response-agreement/ article2060648.ece>

रायनियर, आई और जेसन बुर्के (2015, 7 जून), नेपाल भूकंप से बचे लोगों के लिए यौन हमले के बाद स्व–रक्षा कक्षाओं का आयोजन।

स्रोतः<http://www.theguardian.com/ world/2015/jun/07/nepal-earthquake-survivors-get-self-defence-classes-after-sexual-assaults>

रोरो, ई (2015, 27 अप्रैल), नेपाल का भूकंपः भारत की मृदुसत्ता रणनीति। स्रोतः <http://www.livemint.com/Politics/XgZxw7PAMvjK3DXB9soRLJ/How-India-took-the-lead-in-Nepal-earthquake-relief-operation.html>

सार्क विपदा प्रबंधन सेंटर की वेबसाइटः <http://saarc-sdmc.nic.in/home.asp>

सांगठनिक परिचयः कंसेप्ट सोसाइटी

मध्य प्रदेश में कंसेप्ट संस्था की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। मुख्यतः इंदौर और देवास में स्थित यह संस्था इंदौर और उसके आस–पास के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस समय यह संस्था देवास जिले में देवास ब्लाक में 10 गांवों में कार्य कर रही है।

समेकित, समग्रतापूर्ण और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्था का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को सामाजिक–आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। सामाजिक परिदृश्य में बदलावों को देखते हुए संस्था वंचित लोगों के समग्र विकास के लिए पूरे विश्वास के साथ काम कर रही है। संस्था सुजियन फाउंडेशन, पुणे, डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स, नई दिल्ली, सीएएसए, नई दिल्ली और अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्यरत है और यह आय कर कानून 12ए के अंतर्गत पंजीकृत है।

संस्था का प्रारंभ

विकास के भागीदारीपूर्ण और नीचे से ऊपर की ओर निर्देश दृष्टिकोण की जरूरत और महत्व से कंसेप्ट संस्थान का विकास हुआ। संस्था का उद्देश्य समाज के समस्त हितधारकों को एक साथ लेकर चलना और समाज को विकसित रूप देने की दिशा में रूपांतरण के लिए काम करना है। संस्था की स्थापना 2005 में हुई थी। संस्था के कार्य का क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश के इंदौर और देवास जिले हैं। इस समय संस्था देवास जिले के देवास ब्लाक के 5 गांवों में और मध्य प्रदेश के इंदौर डिविजन के अंतर्गत मऊ ब्लाक में 10 गांवों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

संस्था समेकित, समग्रतापूर्ण और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि समाज के सभी तबकों के निर्धन और सीमांतीकृत लोगों का स्थायित्वपूर्ण विकास करना है। संस्था अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लाभार्थियों को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है। सुजलोन फाउंडेशन, पुणे, डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स, नई दिल्ली, कासा, नई दिल्ली और अन्य संस्था की मदद से संस्था ग्रामीण और शहरी विकास के लिए काम करती रही है। संस्था आयकर कानून 12ए के अंतर्गत पंजीकृत है और उसे एफसीआरए प्रमाण पत्र मिल चुका है।

हस्तक्षेपों के मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र

- महिला सशक्तीकरण
- आजीविका प्रोन्नति
- शिक्षा
- स्थानीय स्वशासन और संस्थागत निर्माण
- नेटवर्किंग और संपर्क
- शोध, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन

विजन, मिशन और उद्देश्य

विजन

आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्रों में स्थिरतापूर्ण विकास के लिए कार्य करना

मिशन

स्थिरतापूर्ण विकास हासिल करना

उद्देश्य

- महिला और बाल विकास के लिए कार्य करना
- स्थिरतापूर्ण आजीविकाओं के लिए कार्य करना
- मानव अधिकारों, विशेषकर महिला अधिकारों के लिए कार्य करना
- जन संस्थाओं का निर्माण करना
- स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता के लिए कार्य
- शिक्षा और मानव संसाधन विकास के लिए कार्य
- प्राकृतिक संसाधन विकास
- शोध, प्रशिक्षण और डाक्यूमेंटेशन आदि के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य
- एडवोकेसी और नेटवर्किंग के लिए कार्य
- सीबीओज और एनजीओज को तकनीकी सहायता प्रदान करना

दृष्टिकोण और रणनीति

- समेकित, समग्रतापूर्ण और सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यकलाप आयोजित करना।
- सभी के लिए और विशेषकर विकास प्रक्रिया में पिछड़े लोगों के लिए समावेशपूर्ण संवृद्धि की रणनीति अपनाकर जनता के लिए विकास हासिल करना
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अत्याचारों से पीड़ित लोगों का सशक्तीकरण करना
- संस्थागत संगठन और जन–समर्थन कार्यचालन को प्रोन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना
- ज्ञान, जानकारी और विशेषज्ञता के आदान–प्रदान को सुगम बनाना ताकि लक्ष्य लाभार्थियों के लिए विकास हासिल किया जा सके और समुदाय के विकास को बल मिले

उपलब्धियां

- गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- वर्ष 2009–2010 में कंसेप्ट संस्थान की सफलता और उपलब्धियां गत वर्ष के लिए उसके कार्यकलाप मात्र ही नहीं हैं, पर लाभार्थियों और समुदाय के दृष्टिकोण में उसके द्वारा लाये गये परिवर्तन भी हैं। कंसेप्ट के हस्तक्षेपों का उद्देश्य स्थिरतापूर्ण विकास रहा है। कंसेप्ट की नेटवर्किंग और संपर्कों का दायरा जिला स्तर से राज्य स्तर और राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर की ओर विकसित हुआ है। अगले वर्ष कंसेप्ट की योजना लोगों के और अधिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ साझेदारी करने की है।
- 4 जुलाई, 2009 को पालनगर – स्थित हनुमान बांध के निर्माण का उद्घाटन किया गया। यह बांध साथ के क्षेत्र में 300 बीघा भूमि की सिंचाई में मदद करेगा। इससे लोगों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उसकी कृषि पैदावार बढ़ेगी।
- कुल 48 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और 43 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा गया ये स्वयं सहायता समूह क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण के संस्थान बन गये हैं।
- पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य जांच, जागरूकता निर्माण, निःशुल्क दवाओं, प्राथमिक चिकित्सा आदि के लिए अनेक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गये। मुख्य शिविर का आयोजन रेनबैक्सी के सहयोग से किया गया था। जागरूकता शिविरों में लोगों को लागत प्रभावी उपचार के लिए विभिन्न देशज दवाओं के बारे में बताया गया जो खांसी, जुकाम आदि जैसी छोटी मोटी बीमारियों को दूर कर सकती है।
- अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैविक कृषि तकनीकें अपनाने, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सही गुणवत्ता के बीजों का चयन करने आदि के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों ने अधिक उत्पादकता के लिए किसानों के क्षमता–निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई है।
- आईईसी सामग्री जैसे जानकारी के संप्रेषण के पारंपरिक साधनों और पद्धतियों के अलावा संस्था विभिन्न नागरिक समाज बैठकों में भाग लेती रही हैं। कंसेप्ट की सीईओ, श्रीमती हेमल कामत स्वयं इन बैठकों में भाग लेती हैं और प्रतिनिधि भेजती हैं। आम लोगों का कल्याण हासिल करने के साझे लक्ष्य की दिशा में कंसेप्ट की एक एकजुटता का इजहार किया जाता है।
- युवा समूह जैसे सीबीओज के अनेक अन्य रूपों का गठन किया गया है और युवाओं के कौशल निर्माण का काम हाथ में लिया गया है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और युवा ऊर्जा को रचनात्मकता में रूपांतरित किया जा सके।
- हमारे आजीविका उन्नतीकरण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद महिला लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में जबर्दस्त बदलाव आया है। इन महिलाओं की आय के स्तर में वृद्धि हुई है; उन्हें परिवार और समाज में नई सहायता, मान्यता और सम्मान प्राप्त हुआ है।
- साहूकारों के प्रमुख और उनके द्वारा किये जाने वाले शोषण का अंत हो गया है जिसका कारण स्वयं सहायता समूहों के बचत और ऋण संबंधी कार्यकलाप हैं।
- कंसेप्ट संस्थान के हस्तक्षेपों के फलस्वरूप एक समानतापूर्ण समाज का गठन हुआ है और इससे जेंडर–आधारित, अंतर, असमानता और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों में कमी आई है। हस्तक्षेप क्षेत्र के पुरूषों ने खुला परिवार और जीवन के विकास के लिए जेंडर–आधारित समानता की जरूरत और महत्व को समझा है।
- इन सभी हस्तक्षेपों के फलस्वरूप एक ऐसी सशक्त महिला का निर्माण हुआ है और समाज के सशक्तीकरण महिला का निर्माण हुआ है और समाज के सशक्तीकरण के कार्य में शामिल है।
- गांव के लोग एकजुट हो गये हैं और स्थानीय अभिशासन की संस्थाएं मजबूत बनी हैं।
- इस वर्ष संपर्कों, नेटवर्क और जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग के क्षेत्र में जबर्दस्त सफलता प्राप्त हुई है। यह अपेक्षा की जाती है कि इससे निर्धन लोगों का और अधिक विकास करने में मदद मिलेगी।
- कंसेप्ट संस्था समय पर अपने विजन और मिशन को हासिल करने में सफल रही है।
- आज सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए 500 से भी अधिक महिलाएं कंसेप्ट से जुड़ी हैं।
- पलनागढ़ में हनुमान बांध के बनने से कई बीघा जमीन की सिंचाई की जा रही है।
- कंसेप्ट द्वारा किये गये विभिन्न स्वास्थ्य–आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से 750 से भी अधिक महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आया है।

मार्गस्तंभ

महिला सशक्तीकरण

सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है महिलाओं को व्यवस्था के विरुद्ध संगठित करना। हर अर्थ में उत्पीड़ित महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण उन्हें सामाजिक बदलाव को सशक्त वाहक बनाता है। महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में हमारे मार्गस्तंभ संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- महिलाओं का सशक्तीकरण करना और उन्हें समाज के मुख्य विकास के साथ जोड़ना
- हर गांव में स्वयं सहायता समूहों का गठन करना जिसमें पैसे की बचत, महिला स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और आय–जनन आदि पर विचार–विमर्श होता है।

- वर्तमान सामाजिक बुराइयों के बारे में महिलाओं को जागरूक बनाना और बैठक के माध्यम से उनमें सशक्तीकरण, आत्म निर्भरता और आत्म विश्वास की भावना पैदा करना।
- परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, विवाह, कानूनी अधिकार, पर्यावरण आदि के बारे में किशोरियों को प्रशिक्षण देना
- महिलाओं में स्व जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर बैठकों का आयोजन करना
- महिलाओं में स्वनिर्भरता विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना।

आजीविका प्रोन्नति

सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न आयामों को लक्ष्य बनाते हुए आजीविका–प्रोन्नति सामाजिक–आर्थिक बदलाव लाने में सबसे अधिक प्रभावकारी रही है। आजीका विकास प्रोन्नति के क्षेत्र में हमारे मार्गस्तंभ संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- लेदर आर्टिकल उत्पाद जैसे कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को एकजुट करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना।
- स्टाप डैम, खेत की बांडिंग और छोटे ढांचों के निर्माण के माध्यम से मृदा और जल संरक्षण जैसे प्राकृतिक संसाधन विकास कार्य करना।
- जैविक खेती, उन्नत टेक्नालॉजी को लागू करके, बागबानी और किचन फार्मिंग के माध्यम से कृषि विकास करना
- भूखंडों पर जैविक खेती का सजीव प्रदर्शन
- लोगों के बीच सेपलिंग प्लांटेशन और वन संरक्षण जैसे कार्यकलापों को प्रोन्नत करना।

कार्यकलाप और परियोजनाएं

आईबीएम अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कंसेप्ट सोसाइटी को सीएससी कार्य का साझेदार चुना

इसका उद्देश्य आसपास के विनिर्माण, औद्योगिक और निगमित संस्थाओं का प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से जरूरत आकलन करके कंसेप्ट सोसाइटी को अपने महिला संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के लिए योजना बनाने में मदद करना था इससे यह पता चल सकता था कि उद्योगों को किस प्रकार के प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है ताकि कंसेप्ट सोसाइटी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सके जिसके फलस्वरूप महिलाओं को रोजगार प्राप्त। इसके निष्कर्षों के आधार पर केंद्र के लिए एक परियोजना योजना तैयार की जानी थी जिसमें सेवाएं, टेक्नालॉजी, संसाधन और उपयुक्त व्यवसाय योजना शामिल हो।

स्वयं सहायता समूहों का गठन

सदस्यों की स्व–निर्भरता को सुगम बनाने, खुली सदस्यता, समान साझेदारी, भागीदारीपूर्ण फैसलों सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच उद्यम कौशल निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन कंसेप्ट सोसाइटी का मुख्य कार्य रहा है। हालांकि स्वयं सहायता समूह अधिक 20 सदस्यों के अनौपचारिक महिला व्यावसायिक लेनदेन के माध्यम से ऋण और बचत के लिए सूक्ष्म स्तरीय व्यवसाय के कार्य को सीखाते हैं। वे नियम बना कर और बचत, ऋण, समूह बैठकों और ऋण पर व्याज तथा किश्त न देने पर जुर्माना आदि से संबंधित कर्तव्यों के माध्यम से साझे लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करके निवेश लामबंद करना सीखाते हैं।

कंसेप्ट ने प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की क्षमता को बढ़ाया है। इन प्रशिक्षणों के मुख्य क्षेत्र हैं: अभिशासन, जेंडर संबंधी मुद्दे, निर्धनता निवारण, भागीदारीपूर्ण निर्णय लेना आदि। प्रशिक्षणों में स्वयं के और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये प्रशिक्षण सदस्यों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बैंकों से जोड़ते हैं। पिछले वित्त वर्ष परियोजना अवधि के दौरान स्वयं सहायता संगठनों की संख्या बढ़ी है।

स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण शिविर

स्वच्छता तथा सफाई से संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी और जागरूकता का अभाव है। इसलिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये स्वास्थ्य शिविर नगदा, मनगाड, रजोडा, बलोदा, करनाखेड़ी, पालनगर, राजीव नगर और अनवतपुरा में आयोजित किये गये। स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मामलों के बारे में जागरूकता पेदा करने के लिए नुक्कड़ नाटकों और अन्य स्थानीय तथा पारंपरिक संचार प्रणालियों का उपयोग किया गया।

शिक्षा और जागरूकता

लोगों के बीच शिक्षा और साक्षरता का प्रसार कंसेप्ट के कार्यकलापों और कार्यकलापों का परिणाम है। इसके अलावा संस्था ने देवास और मऊ में शिक्षा के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये। देवास में तारा अक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि एक कंप्यूटर–आधारित साक्षरता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निरक्षर लोगों को 35 दिन के अंदर पढना और लिखना सिखाना है। छात्रों ने प्रतिदिन 100 मिनट की कक्षाओं में भाग लिया। यह अधिगम की बहुत ही प्रभावकारी पद्धति थी।

नागरिक सुविधाएं

कंसेप्ट के हस्तक्षेप क्षेत्र में अनेक चुनौतियां मौजूद हैं जैसे कि – नागरिक सुविधाओं का निम्न स्तर, जल निवासी और सीवेज प्रणाली की निम्न स्थिति, मकानों का हवादार न होना, स्वच्छता और स्वच्छ पेय जल सुविधाओं का अभाव। इस स्थिति को देखते हुए कंसेप्ट ने लक्ष्य आबादी को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का मुद्दा हाथ में लिया। लोगों को पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाने की जरूरत को देखते हुए कंसेप्ट ने उक्त विषयगत क्षेत्र के

अंतर्गत अनेक हस्तक्षेप कार्यक्रम हाथ में लिये। संस्था ने क्षेत्र के लोगों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें अच्छा गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए अनेक मृदा और जल संरक्षण कार्यकलाप चलाये।

वीडीसीज का गठन

कंसेप्ट संस्थान ने 7 वीडीसीज का गठन किया है और हस्तक्षेप के अंतर्गत आने वाले हर गांव में वीडीसी की मासिक बैंठकें आयोजित की जाती हैं। वीडीसी में जिन मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं:

- विश्व पर्यावरण दिवस पर विचार–विमर्श और वृक्षारोपण के लिए शपथ ली गई
- घटते जल स्तर पर विचार–विमर्श
- धूम्रपान की आदत के खिलाफ जागरूकता
- पानी की कमी पर विचार–विमर्श
- जून में मवेशियों का वक्सीनेशन या टीकाकरण
- आसपास के स्थानों में स्वास्थ्य आधैर स्वच्छता पर विचार–विमर्श
- खेतों की बंडिंग पर विचार–विमर्श
- जल संरक्षण के तरीकों पर विचार–विमर्श

नेटवर्किंग और संपर्क

कंसेप्ट संस्थान की सूक्ष्य और बृहत दोनों स्तर पर अच्छी नेटवर्किंग और संपर्क हैं। संस्था विकास के प्रति भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण के साथ कार्य करती है। विभिन्न सरकारी, गैर–सरकारी और शोध संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की ग्राम, ब्लाक और वार्ड स्तरीय जानकारी एकत्र की जाती है। इसके अलावा जिला सांख्यकी कार्यालय, राजस्व विभाग, कलेक्टरेट, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत नगर निगम, आदि से भी जानकारी एकत्र की जाती है।

खबरें जिनका आप उपयोग कर सकते हैं

यूके एड वाचडॉग द्वारा निजी क्षेत्र के साथ डीएफआईडी की साझेदारी की आलोचना

http://www.theguardian.com/global-development/2015/may/21/uk-aid-watchdog-dfid-public-private-partner-ships-icai?CMP=share_btn_link

एनजीओज को विदेशी अनुदान आईबी,पीएमओ ने गृह मंत्रालय को एफसीआरए नियमों को कठोर बनाने को कहा

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/47521262.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

नोटिस पर एनजीओजः विदेशी अनुदान की गुत्थी की तह तक जाना

http://www.livemint.com/Politics/z08TvmjW6PLZCReFNHj0fK/NGOs-on-notice-Getting-to-the-bottom-of-the-foreign-funding.html

एनजीओ लाइसेंस न्यायालय में जायें

http://www.livemint.com/Politics/n6kWS9YLwE5u3ucycqqIcK/NGO-licence-in-limbo-Move-court.html

विदेशी अनुदान नियमन अधिनियमः नई बोतल में पुरानी शराब

http://www.livemint.com/Politics/FBu1oorpKQ6Qg6TgcBlkOP/Foreign-Contributions-Regulation-Act-Old-wine-in-new-bottle.html